

No. 1/6(2)/2024-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 7th November, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pay scale as per 5th Central Pay Commission

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/3(2)/2008-E.II(B) dated 3rd June, 2024 on the subject mentioned above and to say that the rate of Dearness Allowance (DA) in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies, who are continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale as per 5th Central Pay Commission, shall be enhanced from the existing rate of 443% to **455%** of Basic Pay **w.e.f. 01.07.2024**.

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(13)/97-E.II(B) dated 3rd October, 1997 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

4. This issues with the approval of Competent Authority.



(Abhimanyu Sahoo)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Govt. of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).

सं. 1/6(2)/2024-ई. ॥ (बी)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 7 नवंबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 3 जून, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3(2)/2008-ई.॥(बी) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते (डीए) की दर, जो 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधन वेतनमान/ग्रेड में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रख रहे हैं, 01.07.2024 से मूल वेतन की मौजूदा दर 443% से बढ़ाकर 455% कर दी जाएगी।

2. इस मंत्रालय के दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 के का. ज्ञा. सं.1(13)/97-ई.॥(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित प्रावधान इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय लागू रहेंगे।
3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को उन मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी संगठनों के ध्यान में लाया जाए, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के वेतनमान अपना लिए हैं।
4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अ. साहू
(अभिमन्यु साहू)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि (मानक अनुमोदन सूची के अनुसार)।